भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1296
उत्तर देने की तारीख 11.12.2023

सांस्कृतिक उद्योगों का विकास

1296. श्री एस. जगतरक्षकन :

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस विचार से सहमत है कि सांस्कृतिक उद्योगों के विकास और सांस्कृतिक उद्यमों को सशक्त बनाने के लिए हमारे पास एक दीर्घकालिक दृष्टिकोण, एक मजबूत कार्य योजना और एक बहु-हितधारक दृष्टिकोण होना चाहिए;
(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए जाने वाले प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है; और
(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

संस्कृति, पर्यटन एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री
(जी. किशन रेड्डी)

(क) से (ग): जी, हां। सरकार इस बात से सहमत है कि ऐसी एक दीर्घकालिक दृष्टिकोण, मजबूत कार्य योजना (विजन) और बहु-हितधारक दृष्टिकोण होना चाहिए जो सांस्कृतिक उद्योगों के विकास और सांस्कृतिक उद्योगों एवं सांस्कृतिक उद्यमों को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध हो।

इस दृष्टिकोण पर भारत के जी20 संस्कृति कार्य समूह की प्राथमिकताओं में से एक प्राथमिकता- "सांस्कृतिक एवं रचनात्मक उद्योगों और रचनात्मक अर्थव्यवस्था का संवर्धन" में भी विचार किया गया है। काशी संस्कृति मार्ग नामक परिणाम दस्तावेज के पैरा 10 में सम्मिलित कार्रवाई उन्मुखी अनुशंसा में यह आह्वान किया गया है: "सैद्धांतिक और निगरानी ढांचों को सुदृढ़ करना, जिसमें सांस्कृतिक एवं रचनात्मक क्षेत्र तथा उद्यम और वैश्विक स्तर पर रचनात्मक अर्थव्यवस्था भी सम्मिलित है। यह कार्य इसके बहुआयामी

और ट्रांसवर्सल विस्तार को ध्यान में रखकर, मौजूदा ढांचों पर ही काम करते हुए, जहां संभव हो, वहां संगत अंतरराष्ट्रीय संगठनों-विशेषकर यूनेस्को, ओईसीडी, यूएनसीटीएडी-और ग्लोबल साउथ सहित, वैश्विक और क्षेत्रीय स्तर की सांख्यिकीय संस्थाओं के माध्यम से किया जाए जिसका उद्देश्य विकासशील देशों में सांस्कृतिक उद्योगों और रचनात्मक अर्थव्यवस्था के विकास को कायम रखना और साथ ही यथोचित रूप से डेटा संग्रहण के द्वारा, पूरे विश्व के सृजनात्मक उद्योगों और रचनात्मक अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास पर भी प्रकाश डालना होना चाहिए।"

सरकार द्वारा लोक कला के विभिन्न रूपों, रचनात्मक उद्योग और सांस्कृतिक उद्यमों को संवर्धित, संरक्षित और परिरक्षित करने हेतु सात क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र (जेडसीसी) स्थापित किए गए हैं जिनके मुख्यालय पटियाला (पंजाब), नागपुर (महाराष्ट्र), उदयपुर (राजस्थान), प्रयागराज (उत्तर प्रदेश), कोलकाता (पश्चिम बंगाल), दीमापुर (नागालैंड) और तंजावुर (तमिलनाडु) में स्थित हैं।

संस्कृति मंत्रालय देश के विभिन्न भागों में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव (आरएसएम) आयोजित करता है। क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों द्वारा प्रत्येक वर्ष 42 क्षेत्रीय महोत्सव आयोजित किए जाते हैं जो इन कलाकारों को आजीविका प्रदान करने में भी सहायता प्रदान करते हैं। इस संबंध में ये जेडसीसी अनेक स्कीमें कार्यान्वित करते हैं यथा युवा प्रतिभावान कलाकारों को पुरस्कार, गुरु-शिष्य परंपरा, रंगमंच नवीनीकरण, शोध एवं प्रलेखन, शिल्पग्राम, ऑक्टेव और राष्ट्रीय सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम। इन जेडसीसी द्वारा सांस्कृतिक और रचनात्मक उद्योगों के महत्व के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य से कार्यशालाएं, शिविर, प्रदर्शनियां, सम्मेलन और संगोष्ठियों जैसे कार्यकलाप भी आयोजित किए जाते हैं, जहां सांस्कृतिक एवं रचनात्मक उद्योगों से संबंधित अनेक क्षेत्रों के प्रतिभागियों, विशेषज्ञों और व्यावसायिकों के बीच विचारों, ज्ञान, पद्धतियों और कार्य प्रणालियों का आदान-प्रदान किया जाता है। इन जेडसीसी द्वारा आयोजि2त कार्यक्रमों के दौरान भारत के विभिन्न भागों से आए कारीगरों द्वारा स्टॉल लगाए जाते हैं जो उस स्थल पर अपने उत्पाद प्रदर्शित करते हैं जिससे आगंतुकों को सेवाओं और उनके अनुभवों की जानकारी मिल सके।

वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय द्वारा राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) और वृहत हस्तशिल्प क्लस्टर विकास स्कीम (सीएचसीडीएस) कार्यान्वित करता है जिसका उद्देश्य समग्र रूप से हस्तशिल्पों का विकास, संवर्धन एवं परिरक्षण करना तथा कारीगरों को संवहनीय आजीविका अवसर उपलब्ध कराना है।

*****